# न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

**सूचना अधिकार अपील/79/2022**

**अपीलांट मनीष कुमार अन्याव पुत्र नवरतमल ओसवाल**
**निवासी वर्धमान स्कूल के पास बालोतरा जिला बाड़मेर**

**बनाम**

**राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर**

## आदेश

दिनांक : 20.07.2022

अपीलार्थी मनीष कुमार अन्याव पुत्र नवरतमल ओसवाल निवासी वर्धमान स्कूल के पास बालोतरा जिला बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 28.06.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय पोस्टल ऑर्डर संख्या 942010 प्रति दिनांक 07.05.2022 संलग्न की गई है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथि को टिप्पणी प्रस्तुत कर प्रकट किया है कि अपीलार्थी द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर प्रथम अपील के संबंध में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रकट किया कि वांछित सूचना प्राप्त हो गई है और वह प्रथम अपील वापिस ले रहा है। लिहाजा अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावें।

हमने अपीलांट की अपील, रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलांट को जारी पत्राचार का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के जवाब एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवाते हुए रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना–पत्र का नियमानुसार निस्तारण किया चुका है। अतः रेस्पोडेंट के जवाब का अपील मीमो के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विवेचन उपरांत अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलांट की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 20.07.2022 को न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:21:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर